न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :–65/2019.

प्रार्थी :–

शेषाराम पुत्र श्री धुलाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम खातियासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी :– राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

आदेश दिनांक–21.01.2020

उपस्थिति– श्री बाबुलाल गोरा अधिवक्ता प्रार्थी।
सरकारी पेरोकार अप्रार्थी अनु0

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा काश्त, मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि मौजा गांव खातियासनी, पटवार हल्का खातियासनी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर में खसरा संख्या 143 रकबा 18 बीघा खसरा संख्या 265 रकबा 30–13 बीघा खसरा संख्या 300 रकबा 17–02 बीघा खसरा संख्या 301 रकबा 04–18 बीघा खसरा संख्या 225 रकबा 31–08 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 102–01 बीघा आई हुई है, उक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का 1/4 हक व हिस्सा है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त व खातेदारी मे चली आ रही है, उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता, ताउ, चाचा, बक्साराम, धुलाराम, अनाराम, श्रीराम, पुत्रान प्रभुराम के नाम दर्ज थी, प्रार्थी के प्राकृत पिता अनाराम जी थे, लेकिन प्रार्थी के बड़े पिता धुलाराम जी व उनकी पत्नि चुन्नी के कोई सन्तान उत्पन नही होने से प्रार्थी को धुलाराम जी व चुनी ने गोद ले लिया, तथा प्रार्थी शुरू से अपने गोद माता पिता चुनी व धुलाराम के साथ रहा व उनकी सेवा चाकरी व उनके सभी खर्चे सामाजिक रीति रिवाज अनुसार पुत्र के नाते वहन किये, प्रार्थी की माता चुनी पत्नि धुलाराम का देहावसान हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 284 के जरिये प्रार्थी प्रथम श्रेणी का विधिक वारिसान होने से नाम दर्ज किया गया, लेकिन भूलवश, सहवन के प्रार्थी के पिता का नाम अनाराम दर्ज कर दिया जबकि अनाराम जी प्रार्थी के प्राकृत पिता है व प्रार्थी के गोद पिता का नाम धुलाराम जी है प्रार्थी का नाम धुलाराम के वारिसान के हैसियत से आया है तो पिता का नाम धुलाराम दर्ज करना था, तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेजो मे शेषाराम पिता धुलाराम दर्ज है, जिससे उक्त खातेदारी मे प्रार्थी का नाम शेषाराम पिता अनाराम के स्थान पर शेषाराम पिता धुलाराम दर्ज होना था, जो भूलवश सहवन से हुआ नही, तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, बैंक पास बुक इत्यादि मे प्रार्थी के पिता का नाम धुलाराम दर्ज है, तथा प्रार्थी ने अपने प्राकृत पिता के हिस्से की भूमि मे से हक हिसा भी नही लिया है, प्राथी मात्र अपने गोद पिता धुलाराम के हक हिस्से कि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, उपरोक्त प्रकार की त्रूटि भूल एवं सहवन से तथा उपरोक्त नामान्तरकरण के समय प्रार्थी के पिता का नाम हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण प्रविष्टी के समय धुलाराम की जगह अनाराम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

कर दिया, जिसके शुद्धिकरण किया जाने से किसी के हितों पर गलत प्रभाव नही होगा, जबकि अशुद्धि से प्रार्थी को कदम कदम पर बहुत भारी मुश्किलों का सागना करना पड़ रहा है, प्रार्थी के सभी दस्तावेजात् परिवार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि सम्पूर्ण दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम शेषाराम पिता धुलाराम ही दर्ज है, जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त खसरो के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के नाम में शुद्धिकरण करते हुए प्रार्थी का नाम शेषाराम पिता अनाराम के स्थान पर शेषाराम पिता धुलाराम दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया, बहस प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई, बहस के दोरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपनी बहस में अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तहसीलदार द्वारा गोदनामा नहीं होने का विवरण अपने जवाब में दिया गया।जबकि नामान्तरकरण संख्या 284 के विवरण में उनकी जांच के आधार पर चुनी देवी की मृत्यु होने पर शेषाराम का नाम क्यों स्वीकार किया गया इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण संख्या 384 में विवरण में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उसके प्राकृत पिता के देहान्त पर अपना हिस्सा भाईयों के नाम पर हकतर्क किया गया। इससे यह साबित है कि वह धुलाराम का गोदपुत्र है आज दिनांक धुलाराम की भूमि पर काबिज है व अन्य दस्तावेजों में भी उसके पिता का धुलाराम है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रेकॉर्ड, प्रार्थी के दस्तावेज, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के दोरान बताए गये तथ्यो का अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेषित किया जाता है कि ग्राम खातियासनी, पटवार हल्का खातियासनी, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 143 रकबा 18 बीघा खसरा संख्या 265 रकबा 30–13 बीघा खसरा संख्या 300 रकबा 17–02 बीघा खसरा संख्या 301 रकबा 04–18 बीघा खसरा संख्या 225 रकबा 31–08 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 102–01 बीघा के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के नाम में शुद्धिकरण करते हुए प्रार्थी का नाम शेषाराम पिता अत्ताराम के स्थान पर शेषाराम पिता धुलाराम दर्ज किया जावे।

हनुमानसिंह जाखड़, (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

आदेष आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

हनुमानसिंह जाखड़, (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर